- कृषि प्रंसस्करण केन्द्र ग्रामीणों को उनके कृषि उत्पादों का पूरा लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है।
- यह केन्द्र ग्रामीण स्तर पर उच्च गुणवत्ता के प्रसंस्कृत पदार्थ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं।
- प्रसंस्करण यंत्रों से अच्छी तरह वर्गीकृत (ग्रेडेड) उत्पाद या पदार्थ तैयार होते हैं, जो अपेक्षाकृत बेहतर मूल्य प्रदान करते हैं।
- प्रसंस्करण से कृषि उत्पाद का रख–रखाव अधिक समय तक किया जा सकता है, जो उचित यातायात की कमी से होने वाले नुकसान से भी बचाता है।

संस्थान के सफल प्रयास

भाकृअनुप–वि.प.कृ.अनु.संस्थान, अल्मोड़ा के प्रयास द्वारा पर्वतीय कृषकों की आय वृद्धि एवं उनमें उद्यमिता विकास के उद्देश्य से तीन कृषि प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की गयी है। सर्वप्रथम अल्मोड़ा जिला के ताकुला गाँव में एक कृषि प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की गयी। ताकुला में कृषि प्रसंस्करण केन्द्र को स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी अनवेशों जैसे कि बाज़ार से नज़दीकी, आधारभूत संरचना इत्यादि की उपलब्धता पाई गयी । इसके अलावा यहाँ बिजली, पानी, सड़क द्वारा ग्रामीण बाजार की भी उपलब्धता है। इस प्रसंस्करण केन्द्र में कृषि उत्पादों की अतिरिक्त उपलब्धता पर आधारित कुल सात कटाई उपरान्त मशीनें एवं उपकरण लगाए गए जैसे अनाज साफ करने व श्रेणीकरण की मशीन, लघु धान मिल इकाई, लघु दाल मिल, आटा चक्की, तेल निकालने का यंत्र, कदन्न गहाई यंत्र, मसाला चक्की एवं बिजली चलित मोटर (10 hp)।

तालिका : संस्थान द्वारा स्थापित कृषि प्रंसस्करण केन्द्रो का आर्थिक विश्लेषण

कृषि प्रसंस्करण इकाई	परिचालन लागत (रू0 / वर्ष)	सकल आय (रू0 / वर्ष)	शुद्ध आय (रू0 / वर्ष)	लाभ : लागत अनुपात
राउलसेरा	166916	360290	193374	2.16
ताकुला	152990	321210	168220	2.10

इन प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना से पर्वतीय कृषक अपने फसल उत्पादन को प्रसंस्कृत करने के साथ ही स्थानीय ग्राम समूहों से उनका अतिरिक्त उत्पाद खरीद कर, प्रसंस्करण उपरांत प्राप्त मूल्यवर्धित उत्पाद को “हिमराज” ब्राण्ड के नाम से बेचकर मुनाफा भी कमा रहे हैं।

निष्कर्ष

पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण केन्द्रों की उपयोगिता विशेष है। कृषि प्रसंस्करण केन्द्रों को बढ़ावा देकर कृषकों की आय में वृद्धि एवं कटाई उपरान्त तकनीकों में होने वाले कठिन श्रम को कम कर युवा कृषकों को खेती की ओर आकर्षित करके गाँवों से शहरों की ओर युवाओं के पलायन को कम किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए सर्म्पक करें –

निदेशक
भाकृअनुप – विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
अल्मोड़ा – 263 601, (उत्तराखंड)
दूरभाष : 05962–230060, 230208, फैक्स : 05962–231539
ई–मेल : vpkas@nic.in, वेबसाईट : vpkas.nic.in

आलेख

शेर सिंह, एच०एल० खरबिकर, कुशाग्रा जोशी, जयदीप कुमार बिष्ट एवं अरूणव पट्टनायक

तकनीकी सहयोग

शिव सिंह

मुद्रण सहयोग

पी० एम० ई० प्रकोष्ठ

Design & Printed at : APNA JANMAT, D.Dun # 0135-2653520, 9837209996

भाकृअनुप - वि०प०कृ०अनु०सं० प्रसार प्रपत्र (105/2017)

कृषि प्रसंस्करण केन्द्र

पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण रोज़गार हेतु एक बेहतर विकल्प

भाकृअनुप
ICAR

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना
कटाई–उपरान्त अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी

भाकृअनुप-विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
(आई.एस.ओ 9001 - 2008 प्रमाणित संस्थान)
अल्मोड़ा 263601 (उत्तराखण्ड)

2017

नि:शुल्क कृषक हैल्पलाइन - 18001802311
सम्पर्क समय - प्रत्येक कार्य दिवस (प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक)

कृषि प्रसंस्करणः परिचय

कृषि प्रसंस्करण अन्न, दलहन, तिलहन आदि में कटाई उपरान्त होने वाली क्षति में कमी लाने तथा मूल्य वर्धन करने की प्रक्रिया है। ग्रामीण स्तर पर लाभप्रद ढंग से कृषि प्रसंस्करण निम्नलिखित रुपों में किया जा सकता है:

- अन्न प्रसंस्करण
- दलहन प्रसंस्करण
- तिलहन प्रसंस्करण
- मसाला प्रसंस्करण

कृषि प्रसंस्करण के उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ हैं–आटा, चावल, दाल, बेसन, दलिया, मसाला पाउडर, पशु चारा इत्यादि।

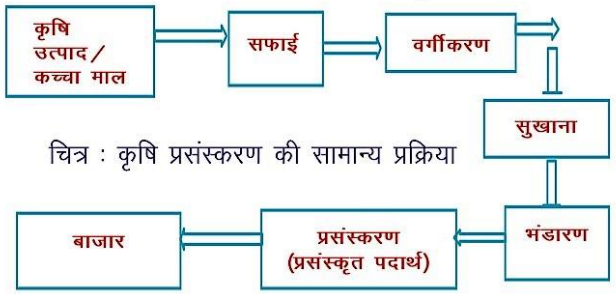

चित्र : कृषि प्रसंस्करण की सामान्य प्रक्रिया

कृषि प्रसंस्करण केन्द

कृषि प्रसंस्करण केन्द्र पर कृषि उत्पाद प्रसंस्करण हेतु आवश्यक सामग्री व सुविधाऐं उपलब्ध होती हैं। कृषि प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना ग्रामीण स्तर पर खाद्यान्नों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन कर कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से की जाती है। यह एक प्रतिष्ठान है जहाँ अन्न, दलहन, तिलहन, मसाले, फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, भण्डारण एवं सुखाने के लिए आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध होती हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को सावधानी पूर्वक पैक कर विशिष्ट ब्राण्ड के नाम से विपणित किया जाता है।

उपयोग में आने वाले प्रमुख कृषि प्रसंस्करण यंत्र

- अनाज सफाई और वर्गीकरण यंत्र
- अनाज भंडारण (बोरे, धातु–बर्तन, सीमेंट के कोठार, पक्की कोठियाँ, इत्यादि)
- आटा–चक्की
- धान कुटाई यंत्र (प्लर्स कम शेलर्स, पॉलिशर्स)
- तिलहन पेराई यंत्र
- मसाला पिसाई यंत्र
- उत्पाद तोलने का यंत्र
- शक्ति–स्त्रोत (बिजली या डीजल इंजन)

कृषि प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें

स्थान का चयन

कृषि प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने का स्थान, ग्राम अथवा ग्राम–समूह के लगभग केन्द्र में होना चाहिए । ऐसा स्थान, जो सड़कों से जुड़ा हो तथा जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके, केन्द्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त रहता है।

कृषि प्रसंस्करण यंत्र का चयन

इसके लिए सर्वप्रथम स्थानीय कृषि उत्पादों या कच्चे माल की उपलब्धता का सर्वेक्षण करना चाहिए और इसके आधार पर कृषि प्रसंस्करण यंत्र व उनकी क्षमता आदि का निर्धारण करना चाहिए। इन यंत्रों की उपलब्धता की जानकारी कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विकास अधिकारी, किसान मेलों, प्रदर्शनियों, कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं कृषि सम्बन्धित संस्थाओं से प्राप्त की जा सकती है।

परिवहन

कच्चे माल तथा प्रसंस्कृत पदार्थों के क्रय–विक्रय हेतु बाज़ार एवं परिवहन के साधन प्रचुरता में उपलब्ध होने चाहिए।

प्रशिक्षण

कृषि प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना, संचालन एवं यंत्रों की देखभाल हेतु समुचित प्रशिक्षण लेना भी अति आवश्यक है। इसके लिए निकट के कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विकास अधिकारी या कृषि सम्बन्धित संस्थाओं से सम्पर्क करना चाहिए।

पूँजी

कृषि प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना हेतु यदि स्वयं की पूंजी हो, तो अति–उत्तम, अन्यथा विभिन्न बैंकों द्वारा रियायती ब्याज दरों पर ऋण भी लिया जा सकता है। इसके लिए ग्राम–प्रधान, खण्ड विकास अधिकारी या बैंक अधिकारी आदि से सम्पर्क करना चाहिए। नाबार्ड द्वारा कृषि प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की विशेष योजना चलाई जाती है।

अनुमानित लागत

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (कटाई–उपरान्त अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी), सीफेट लुधियाना के सहयोगी केन्द्रों द्वारा विभिन्न कृषि–प्रसंस्करण केन्द्रों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि रुपये 80,000/– से 4,00,000/– की लागत द्वारा लगभग रुपये 6,000/– से 20,000/ रुपये प्रति माह तक आय प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक कृषि प्रसंस्करण केन्द्र में 2 से 6 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर भी मिल सकते है।

कृषि प्रसंस्करण केन्द्र से लाभ

यह केन्द्र, गाँव या उसके आस–पास के क्षेत्र के क्लस्टर (ग्राम समूह) में उपलब्ध उत्पाद की विक्रयता बढ़ाकर कृषि उत्पाद के लिए अतिरिक्त मूल्य बनाता है। आमतौर पर फसल कटाई के उपरान्त प्रसंस्करण के लिए फसल उत्पाद को शहरी क्षेत्रों तक पहुँचाया जाता है जिससे इसमें बर्बादी से होने वाले नुकसान के अलावा, परिवहन और भण्डारण की लागत भी कृषक को ही उठानी पड़ती है। फसल प्रसंस्करण एवं भण्डारण की सुविधाऐं होने पर फसल कटाई के उपरान्त होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। गाँवों में ही फसल के प्राथमिक एवं माध्यमिक प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध होने पर प्रसंस्कृत सामग्री का मूल्य भी कम हो जाता है तथा कृषकों में उद्यमिता का विकास किया जा सकता है।